— 5

Amendment to Coir Industry Rules (2)

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/9

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 340] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1998/ज्येष्ठ 8, 1920
No. 340] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1998/JYAISTHA 8, 1920

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1998

का० आ० 474 (अ).—कयर उद्योग नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 450 (अ), तारीख 19 जून, 1997 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और, उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कयर उद्योग नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग (संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 23 के उप-नियम 2 परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् परन्तु बो केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अधिकारियों या कर्मचारियों ऐसा पद सृजित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई पद जिसका अधिकतम वेतनम 15200 रुपये प्रतिमास से अधिक है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी बिना नहीं भरा जाएगा ।

[सं० 2(11)/95-कयर

ब्रह्म दत्त, संयुक्त सचि

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 222 दिनांक 6-7-54 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चा निम्नलिखित अधिसूचना संख्या और तारीख द्वारा संशोधन कि गए:—

एस.आर.ओ. 973	तारीख 29-4-1955
एस.आर.ओ. 3669	तारीख 17-12-1955
एस.आर.ओ. 3983	तारीख 12-12-1955
एस.आर.ओ. 877	तारीख 9-4-1960
जी.एस.आर. 1088	तारीख 18-6-1963
एस.ओ. 1744	तारीख 6-5-1967
एस.ओ. 2983	तारीख 21-7-1969
जी.एस.आर. 1122	तारीख 9-7-1976

जी.एस.आर. 1588	तारीख 28-9-1976
जी.एस.आर. 2498	तारीख 30-5-1983
जी.एस.आर. 390(ई)	तारीख 22-3-1990
जी.एस.आर. 694(ई)	तारीख 30-7-1992
जी.एस.आर. 832(ई)	तारीख 29-10-1992
जी.एस.आर. 784(ई)	तारीख 14-9-1995
एस.ओ. 44(ई)	तारीख 15-1-1996
एस.ओ. 45(ई)	तारीख 15-1-1996

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 1998

S.O. 474 (E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954, was published, as required by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries) No. S.O. 450 (E), dated the 19th June, 1997 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th June, 1997, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the official Gazette;

And whereas no objection or suggestion was received from the public on the said draft, within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coir Industry rules, 1954, namely:—

(1) These rules may be called The Coir Industry (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 23 of the Coir Industry Rules, 1954, in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :

"Provided that no such post of officers or employees shall be created by the Board without the previous sanction of the Central Government:

Provided further that no such post the maximum scale of pay of which exceeds Rs. 15200/- per month shall be filled without the prior approval of the Central Government."

[No. 2(11)/95-Coir]

BRAHM DUTT, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 2226 dated 6-7-54 and subsequently amended by Notifications Nos. and dates givin below :—

SRO 973	dt. 29-4-1955
SRO 3669	dt. 17-12-1955
SRO 3983	dt. 12-12-1955
SRO 877	dt. 9-4-1960
GSR 1088	dt. 18-6-1963
S.O. 1744	dt. 6-5-1967
S.O. 2983	dt. 21-7-1969
GSR 1122	dt. 9-7-1976
GSR 1588	dt. 28-9-1976
GSR 2498	dt. 30-5-1983
GSR 390 (E)	dt. 22-3-1990
GSR 694 (E)	dt. 30-7-1992
GSR 832 (E)	dt. 29-10-1992
GSR 784 (E)	dt. 14-9-1995
S.O. 44 (E)	dt. 15-1-1996
S.O. 45 (E)	dt. 15-1-1996

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998